न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय बक्सर।

सत्र वाद संख्या – 129/2024
CIS No. 129/2024

बिहार सरकार
बनाम
भोलू सिंह उर्फ सुनिल कुमार सिंह

उपस्थित :–

प्रभाकर दत्त मिश्र
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय–
–सह– विशेष न्यायाधीश एम0पी0/एम0एल0ए0,
बक्सर।

आदेश

04.07.2024 आवेदक/अभियुक्त भोलू सिंह उर्फ सुनिल कुमार सिंह की ओर से द.प्र.सं. की धारा 227 के अन्तर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 21.06.2024 तथा अभियोजन की ओर से दाखिल प्रत्युत्तर दिनांक 21.06.2024 पर सुनवाई के पश्चात आज आदेश हेतु प्रस्तुत हुई।

उक्त आवेदन दाखिल कर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी निर्दोष है तथा एक साजिश के तहत उपरोक्त वर्णित मुकदमा में फंसाया गया है। धारा–161 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत लिये गये गवाहों के बयान तथा प्रवेक्षण टिप्पणी के अवलोकन पश्चात् धारा– 307 भा0द0वि0 का मुकदमा नहीं बनता है। आगे कथन है कि वाद दैनिकी में जिन गवाहों का बयान हुआ है उसमें अनवेषणकर्ता द्वारा समय अंकित नहीं किया है जिससे लगता है कि वाद दैनिकी टेबुल ड्राफ्टेड है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रार्थी पर कोई अभियोग नहीं है और पूरी वाद दैनिकी में जान मारने कि नियत कहीं लंबीत नहीं होता है। सूचक प्रभावशाली व्यक्ति है उसके मेल में आकर अनवेषणकर्ता तथा वरीय पुलिस पदाधिकारी द्वारा गलत धाराओं में आरोप पत्र समर्पित किया गया है जो काबिले खारीज है। प्रार्थी का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। अतः निवेदन किया गया है कि प्रार्थी को मुकदमा से आरोप मुक्त किया जाए।

लगातार

लगातार

04.07.2024

इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा प्रत्युत्तर दाखिल कर कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त के द्वारा दाखिल आवेदन आधारीहीन तथा कानूनतः काबिल खारिज है। प्राथमिकी धारा– 147, 149, 341, 323, 324, 307, 504/34 भा0द0वि0 के तहत दर्ज किया गया तथा अनुसंधान पूर्ण होने के पश्चात् पुलिस ने आरोप पत्र सं0– 20/24 अन्तर्गत धारा– 147, 149, 341, 323, 325, 307, 504/34 समर्पित किया है। दिनांक 28.02.2024 को उक्त धाराओं में संज्ञान लिया गया है। तीन व्यक्तियों को जख्म कारित हुआ है तथा जख्म प्रतिवेदन के अनुसार दो व्यक्ति– धीरज कुमार एवं बिजेन्द्र कुंवर को सिर पर चोट आया है। धीरज कुमार के सिर पर Greivous in nature का जख्म पाया गया है तथा एक्स–रे में fracture of skull पाया गया। अनुसंधानकर्ता द्वारा काण्ड दैनिकी के पैरा– 6, 7, 26, 27 में साक्षी धीरज कुमार, बीर बहादुर सिंह, नरेन्द्र कुमार, मुक्तेश्वर कुंवर का बयान लिया गया है। आरोप गठन के लिये पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। अतः आवेदक/अभियुक्त द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 21.06.2024 को खारिज करने की प्रार्थना की गई है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख तथा काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक अभियुक्त/प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। अनुसंधानकर्ता द्वारा इनके विरुद्ध मामला को सत्य पाते हुए आरोप पत्र समर्पित किया गया है। इनके विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए अपराध का संज्ञान लिया गया। काण्ड दैनिकी के पैरा–6, 7, 26, 27 से अभियुक्त का घटना में संलिप्त होने संबंधित साक्ष्य आया है जो कि आरोप गठन हेतु प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध आरोप गठन हेतु अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य है। तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त का आवेदन दिनांक 21.06.2024 **खारिज** किया जाता है। दिनांक ..... को वास्ते आरोप गठन। आरोप गठन हेतु अभियुक्त न्यायालय में सदेह उपस्थित रहे।

लेखापित

(प्रभाकर दत्त मिश्र)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय–
–सह– विशेष न्यायाधीश एम0पी0/एम0एल0ए0
बक्सर।